संख्या 81/2026/402/35-1-2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन,

नियोजन विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन के राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आार्थिक सेवायें,-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड,-05-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन, 07 -स्टेट डाटा सेंटर अथारिटी एवं 08-जन विश्वास सिद्धान्त हेतु रूपये- 7385.20/- लाख (रूपये- तिहत्तर करोड़ पचासी लाख बीस हजार मात्र) राजस्व पक्ष तथा लेखाशीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन हेतु रूपये- 150.00/- लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) पूंजीगत पक्ष कुल योग= (राजस्व+ पूंजीगत)रूपये- 7535.20/- (रूपये- पचहत्तर करोड़ पैतीस लाख बीस हजार मात्र) के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 81/2026/402(1)/35-1-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण वितरण अधिकारी, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से.

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 81/2026/402/35-1-2026 दिनांक: 15 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

अनुदान संख्या- 40 **(धनराशि लाख रूपये में)**

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
मद संख्या	**05-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन**	**(राजस्व पक्ष)**
01	वेतन	700.00
03	मंहगाई भत्ता	455.00
04	यात्रा व्यय	100.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20
06	अन्य भत्ते	13.00
07	मानदेय	100.00
08	कार्यालय व्यय	100.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	12.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200.00
13	टेलीफोन पर व्यय	50.00
15	गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500.00
18	प्रकाशन	250.00
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100.00
20	सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	300.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	800.00
29	अनुरक्षण	30.00
42	अन्य व्यय	200.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	10.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	200.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्ससम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	200.00
49	चिकित्सा व्यय	20.00
51	वर्दी व्यय	5.00
55	मकान किराया भत्ता	60.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	300.00
64	रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	300.00
	कुल योग-	5385.20
	07 स्टेट डाटा सेंटर अथारिटी	
20	सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	1000.00
	08 जन विश्वास सिद्धान्त	
20	सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	1000.00
	(राजस्व पक्ष) कुल योग	7385.20
	2) पूंजीगत पक्ष ले0शीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन	
14	मोटर गाडियों का क्रय	32.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	लघु निर्माण कार्य	116.00
26	मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	2.00
	(पूंजीगत) कुल योग	**150.00**
	कुल योग= राजस्व+ पूंजीगत	**7535.20**

(रूपये- पचहत्तर करोड़ पैतीस लाख बीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।